तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 19/2020 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान श्रीराम बनाम मोहन वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.12.2024

पीठासीन अधिकारी:– श्री ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.

उपस्थित:– श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.12.2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 306/2012 बअनवान श्रीराम वगैरा बनाम मोहन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 575 रकबा 49.19 बीघा मौजा खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 584/1 मौजा खरड़ पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 15.07.2015 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांटस व उतरदाता संख्या 05 के अधिवक्ता द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 18.12.2024 को मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2024 की पालना में तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

धौरीमन्ना द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2024/3149 दिनांक 23.12.2024 मौका रिपार्ट पेश की गई। लोक अदालत की भावना से वक्त बहस अपीलांटस व उतरदाता संख्या 05 के अधिवक्ता ने आपसी सहमती से मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 में प्रस्तावित रास्ता इंगित लाल स्याही को रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि तहसीलदर धौरीमन्ना द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2024 की पालना में पेश मौका रिपोर्ट भू.अ./2024/3149 दिनांक 23.12.2024 में प्रस्तावित रास्ता निकलाने पर सहमति जाहिर की। उभयपक्ष की आपसी सहमति अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थीगण/उतरदाता की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अपील के संलग्न मौका फर्द भू.अ./2024/3149 दिनांक 23.12.2024 में संलग्न नक्शा में प्रस्तावित रास्ता इंगित लाल स्याही नाप लम्बाई 290 फीट व चौड़ाई 30 फीट रकबा 0.0808 हैक्टयर को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हे। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि तहसील कार्यालय धौरीमन्ना में संधारित जी.ए. 55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाने पर मुताबकि आदेश तहसीलादार धौरीमन्ना राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमलदरामद कर लठा ट्रेस में तरमीम करे। तहसीलदार धौरीमन्ना आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर